

भवरी देवी बनाम मुकनाराम व अन्य

किसम मुकदम/अपील एलआर-76/नं.58/2013/सन् 2013

तारीख हुक्म

हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
(2013/00051)

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील में
जारी हुए

अधि०अपी० श्री समीर अहमद खान

22.06.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक श्री समीर अहमद अपील विद्धो किये जाने के प्रार्थना पत्र पेश हुआ जो शामिल मिसल है। पत्रावली आज प्रत्यर्थी संख्या 01 की तलबी हेतु नोटिस पेश किये जाने बाबत नियत है। अपीलार्थी अभि. को अपील विद्धो प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते अपील विद्धो किये जाने बाबत बहस में दौराने बहस कमोबेश प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए निवेदन किया गया कि पक्षकारो के मध्य आपसी समझाईस से समझौता हो गया है अतः प्रार्थी/अपीलार्थी प्रस्तुत अपील को आगे नही चलाना चाहते है एवं इसी स्तर पर विद्धो करना चाहते है जिसकी अनुमति दिया जाना न्यायोचित है। अतः इस अपील को इसी स्तर पर निस्तारित किये जाने के आदेश पारित किये जावे। अन्त में निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वास्ते अपील विद्धो किया जाने का स्वीकार किया जाकर अपील को आगे नही चलावे एवं विद्धो किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान किये जावे।

अतः न्यायहित में अपीलार्थी / प्रार्थी अभिभाषक का अपील विद्धो किये जाने का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलार्थी द्वारा विद्धो किये जाने के आधार पर खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


(डॉ. वीना प्रधान)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

